APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट खेजडी

नौसरदेवी पत्नि हीरालाल गुर्जर
निवासी– खेडी

बनाम लक्ष्मण पिता रामा रावत
निवासी– आजादनगर खेजडी

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53 रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 13/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट खेजडी प्रर पेश हुई, वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादीगण अनुपस्थित । वकील वादी ने कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की कब्जेकाश्त की आराजीयात है जिसमें खाता संख्या– 505 में वादीया का 1/3, प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 का 1/3 , प्रतिवादी संख्या– 4 का 1/3 हिस्सा है , तथा खाता संख्या 319 में वादीया का 1/4 व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है, और इसी हक हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त आराजीयात सम्मिलित खाते में दर्ज होने से पक्षकारान के मध्य फसल काश्त करनें, फसल कटानें व लगान जमा करानें में काफी परेशानी रहती है इसलिये वादी उक्त आराजीयात का माफिक हिस्सा अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन करना चाहती है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश फरमावें । मैने वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा खेजंडी तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 2066, 2067, 2068, 2069 किता 4 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि बालु पिता रुपा , लक्ष्मण , महेन्द्र, पिता रामा , सोहनी बेवा रामा, घीसू पिता रुपा , रावत सा. देह , नौसर देवी पत्नि हीरालाल गुर्जर सा0 खेडी के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा आराजी नं.– 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075 किता 6 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि महेन्द्र , लक्ष्मण पिता रामा , सोहनी बेवा रामा , घीसू पिता रुपा रावत सा0 देह , नौसरदेवी पत्नि हीरालाल गुर्जर सा0 खेडी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । यहॉ वादीया का कथन है कि आराजी मुतदाविया सयुक्त खातेदारी की होने से फसल काश्त करनें, फसल काटनें, तथा	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

लगान जमा करानें में काफी परेशानी आती है । इसलिये आराजीयात का माफिक हक हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी विभाजन कराना चाहती है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण का कोई जवाब नही कोई काउण्टर शपथ पत्र नही ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद की पृष्टि स्वतः ही हो जाती है ।

चुँकि आराजी मुतदाविया के वादीगण खातेदार काश्तकार है और खातेदार को अपनी भूमि का विभाजन करानें का पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी स्वीकार किये जानें योग्य है ।

::–निर्णय::–

दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा खेजडी तहसील हुरडा की आराजी नं.– 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075 किता 6 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा , आराजी नम्बर– 2066, 2067, 2068, 2069 किता 4 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 13.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– नौसर पत्नि हीरालाल गुर्जर सा. खेडी के हिस्से में रहन एस.बी.आई. हुरडा –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेजडी	2070/1	01 बीघा 01 बिस्वा	
	2071/1	01 बीघा 02 बिस्वा	
	2072	01 बीघा 05 बिस्वा	
कुल किता– 3		03 बीघा 08 बिस्वा	
खेजडी	2067/1	03 बीघा 04 बिस्वा	
कुल किता – 1		03 बीघा 04 बिस्वा	

Scanned by CamScanner

2– लक्ष्मण , महेन्द्र, पिता रामा , सोहनी बेवा रामा रावत, सा0 देह के हिस्से में –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेजडी	2072/2	01 बीघा 14 बिस्वा	
	2071/2	01 बीघा 16 बस्वा	
कुल किता – 2		03 बीघा 10 बिस्वा	

3– बालीदेवी पत्नि हरदेव जाट सा0 मुरायला, के हिस्से में रहन बी.आर. जी.बी. जालिया द्वितीय :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेजडी	2071/3	00 बीघा 07 बिस्वा	
	2073	00 बीघा 18 बिस्वा	
	2074	01 बीघा 01 बिस्वा	
	2075	01 बीघा 02 बिस्वा	
कुल किता – 4		03 बीघा 08 बिस्वा	

4– निम्न आराजीयात शामिल में रहेगी :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेजडी	2071/4	00 बीघा 03 बिस्वा	
कुल किता – 1		00 बीघा 03 बिस्वा	

5– बालु पिता रुपा , लक्ष्मण महेन्द्र पिता रामा, सोहनी बेवा रामा , गोपाल सिंह पिता घीसू , कन्कू पत्नि घीसू रावत , सा0 देह के हिस्से में रहन एस.बी.आई. शाखा हुरडा , हिस्सा लक्ष्मण , महेन्द्र व सोहनी का :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेजडी	2066	02 बीघा 01 बिस्वा	
	2067/2	04 बीघा 07 बिस्वा	
	2068	00 बीघा 09 बिस्वा	
	2069/2	02 बीघा 11 बिस्वा	
कुल किंता – 4		09 बीघा 08 बिस्वा	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

4– निम्न आराजीयात शामिल में रहेगी :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेजडी	2069	00 बीघा 03 बिस्वा	
कुल किता – 1		00 बीघा 03 बिस्वा	

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 13.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner